प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड देहरादून।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

पत्रांक 1046 ग्रा0नि0वि0 /अनु0–रिखोली/ 2016–17 दिनांक : 29/09/2016

विषय **जनपद देहरादून में विकासखण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत 09 बीघा रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़के के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.889 हे0 वन भूमि का गैरवानित कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून को वन अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

महादेय,

आपके कार्यालय पत्र सं0 983/12–1 दिनांक 06.09.2016 एवं अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न पत्र के कम में चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्न है–

1. बिन्दु सं0 01 मुख्य वन संरक्षक से सम्बन्धित हैं।
2. बिन्दु सं0 02 में चाही गयी सूचना के सन्दर्भ में प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में प्रपत्र 33 पर सूचना अंकित है।
3. बिन्दु सं0 03 में चाही गयी सूचना हेतु प्रपत्र 09 व प्रपत्र 11.1 तथा प्रपत्र 04 पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में संलग्न है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः सूचना सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार ।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार–

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता (तृतीय), ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–देहरादून।

प्रपत्र--33

परियोजना का नामः-- जनपद--देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा--रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सडक के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

लाभागन्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
रिखोली	38	318
बरसारी	06	25
बसियाना	03	15
नौ विघा	15	138
जोड़ीखाला	02	12
किमाणी	27	288

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून

प्रपत्र –9

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड़ देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.8890 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

ह0/	ह0/	ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	जिलाधिकारी District Magistrate Dehradun.

प्रपत्र – 4

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

विकासखण्ड सहसपुर एवं ग्रामीण सडक एवं ड्रेनेज विभाग के पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 1539 / 12–1, दिनांक 02–11–2015 के अनुपालन मे दिनांक **दिनांक 16–11–2015** एवं **12–03–2016** को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के निम्न अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गई :–

(1) श्री जगमोहन जुवांठा, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज।
(2) श्री विकास अणथ्वाल, अपर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
(3) श्री आर0के0सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
(4) श्री बलबीर सिंह रावत, वन दरोगा, मसूरी रेंज।
(5) श्री जगदीश कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र रिखोली।
(6) श्री दिवान सिंह, वन बीट अधिकारी, रिखोली बीट।

(1) प्रश्नगत स्थल रिखोली क0सं0 7 आरक्षित वन के अन्तर्गत पड़ता है।

(2) नौवीघा (नारायण सिंह के घर के पास) से रिखोली मोटर मार्ग तक एक पुराना मार्ग अवस्थित है, जिसकी नपत निम्न प्रकार प्रेषित है–

क0सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	क्षेत्र का स्वरूप	संख्या	प्रस्तावित भूमि की नपत			
				लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (व0मी0में)	क्षेत्रफल (हे0में)
	मोटर मार्ग	आरक्षित वन रिखोली–7,	1	1270	7	8890	0.8890
		नाप भूमि ग्राम रिखोली	1	160	7	1120	0.1120
		योग–		**1430**		10010	**1.0010**

संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार उक्त मार्ग राजस्व अभिलेखों मे औसत 7 मीटर चौड़ा कच्चा मार्ग दर्ज हैं। उक्त मार्ग का 1270 मीटर भाग रिखोली आरक्षित वन क0सं0 7 के अन्तर्गत पड़ता है तथा शेष 160 मीटर मार्ग नापभूमि है।

(4) वर्णित स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग निम्न प्रकार है–

N- 30°-25'-22.7" E- 078°-01'-15.4" Hight- 544 M.
N- 30°-26'-0.22" E- 078°-02'-13.5" Hight- 499 M.

(5) उक्त मार्ग में ग्रामीण सडक एवं ड्रेनेज विभाग, देहरादून द्वारा सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना जाना है तथा पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग के समरेखण में परिवर्तन नहीं किया जाना है। उक्त प्रस्तावित कार्य में कोई वृक्ष बाधक नहीं होगा।

आरक्षित वन में मार्ग के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य करने पर मौके पर वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे।

(आर0के0सिंह)
सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(विकास अणथ्वाल)
अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(जगमोहन जुवांठा)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज।

(दिवान सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी,
रिखोली बीट।

(बलबीर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।

(जगदीश कुमार)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र रिखोली।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून

District Magistrate
Dehradun.